

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या
13/11/2012

रजि०न०
2012/00024

प्रवेश तिथि
23.08.2012

निर्णय दिनांक
15.04.2024

1. विकास अधिकारी पंचायत समिति रैणी जिला अलवर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि व प्रभारी अधिकारी विकास अधिकारी पंचायत समिति रैणी तहसील राजगढ़ जिला अलवर राजस्थान

—निगरानीकार/प्रार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत छिलौडी पंचायत समिति रैणी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत छिलौडी पंचायत समिति रैणी तहसील राजगढ़ जिला अलवर
2. सचिव ग्राम पंचायत छिलौडी पंचायत समिति रैणी तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज०
3. जगदीश पुत्र श्री गंगासहाय, जाति अहीर, निवासी ग्राम वारा छिलौडी, पंचायत समिति रैणी, जिला अलवर

—असल अनिगरानीकार (अप्रार्थी)

4. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम, अलवर

—तरतीबी अनिगरानीकार/अप्रार्थी

निगरानी विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत छिलौडी पंचायत समिति रैणी तहसील राजगढ़ जिला अलवर दिनांक 22.02.1986 जिसके द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के नाम गलत तरीके पर नियम विरुद्ध खिलाफ कानून पट्टा जारी किया गया है, जो आदेश निरस्त किये जाने योग्य है व निगरानी काबिले स्वीकार है एवं अन्य अनुतोष।

उपस्थित:—

01. श्री भूपेन्द्र सिंह शेखावत
02. श्री रहमत खां

—वकील निगरानीकार

—वकील अनिगरानीकार संख्या 4

—:: निर्णय ::—


निगरानीकार द्वारा निगरानी विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत छिलौडी पंचायत समिति रैणी तहसील राजगढ़ जिला अलवर दिनांक 22.02.1986 जिसके द्वारा अपार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के नाम गलत तरीके पर नियम विरुद्ध खिलाफ कानून पट्टा जारी किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है जिसके तथ्य निम्न प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत छिलौडी पंचायत

**अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)**

समिति रैणी जिला अलवर द्वारा गैरकानूनी तरीके से पट्टे जारी करने की शिकायत दिनांक 15.06.2012 को मिलने पर निगरानीकार द्वारा प्रशासनिक कार्यवाही की गई परन्तु प्रशासनिक कार्यवाही से पट्टे निरस्त नहीं किये जा सकते हैं। इसलिय प्रशासनिक कार्यवाही करने में असफल रहने के कारण वकील साहब से कानूनी राय लेने पर निगरानी प्रस्तुत करने की सलाह मिली। इसलिए पट्टे की दिनांक से प्रशासनिक कार्यवाही में व्यतीत हुआ समय व उसके बाद तक का समय कानूनी कार्यवाही की जानकारी ना होने के कारण व्यतीत हुआ है उसे कन्डोन फरमाया जाकर निगरानी साधारणतय अन्दर अवधि स्वीकार करने की कृपा करें। जिसके लिए अलग से धारा 5 मियाद अधि० का प्रार्थना पत्र पेश है। इसलिए मौजूदा निगरानी नियमानुसार बिना देरी के श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

अवाप्तशुदा भूमि ग्राम पंचायत छिलोडी पंचायत समिति रैणी तहसील राजगढ़ जिला अलवर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण तथा इसकी निगरानी की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान् को प्राप्त होने के कारण निगरानी श्रवणयोग्य है। निगरानी पर नियमानुसार न्याय शुल्क चरपा है और अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नियमानुसार तलबाना शुल्क अलहदा से चरपा है। ग्राम पंचायत छिलोडी पंचायत समिति रैणी द्वारा द्वारा अवाप्तशुदा सरकारी भूमि जो मालाखेडा से लक्षमणगढ़ तक 80 चौड़ाई के रोड क लिए प्रस्तावित है। जिसका मुआवजा भी सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अवाप्ति की कार्यवाही करने के पश्चात जमा करा दिया था और यह भूमि सरकारी भूमि रास्ते के लिए जो मालाखेडा से लक्षमणगढ़ तक के रोड के लिए ग्राम बारा भडकोल से सड़क को प्रस्तावित 80 फुट चौड़ाई के लिए प्रस्तावित की गई थी जो खसरा नम्बर 16/1 रकबा 5 बिस्वा व अन्य खसरा नम्बरान कमशः 1,2,3,18,19,20, व इस तरह ने अन्य खसरा नम्बरान भी है जो दिनांक 20.04.1980 से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मालाखेडा तक सड़क की 80 फुट चौड़ाई बढ़ाने हेतु अवाप्त की गई। जिस अवाप्तिशुदा भूमि का अवाई जारी कर दिया गया था तथा जिसकी विज्ञप्ति सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विज्ञप्ति संख्या एफ/96/पी० डब्लू डी/106 दिनांक 17.03.1958 को जारी किया था।


इस प्रकार पट्टा जारी करने में काफी वर्षों पूर्व भूमि सरकार को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहित कर ली गई थी। और जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि है। जिस भूमि का सरपंच व सचिव को पट्टे जारी करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं था। उन्होंने नियमों के विरुद्ध सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अवाप्त की गई रास्ते की भूमि के पट्टे जारी कर तथ्यात्मक व कानूनी भूल की है। इसी बिना पर ग्राम पंचायत छिलोडी पंचायत समिति रैणी, जिला अलवर द्वारा जारी पट्टा व उसके अनुपालन में जारी किये गये समस्त पट्टे जो अप्रार्थी संख्या 1 लगा० 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 को जारी किये गया है। वह जारीशुदा पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। निरस्त किये जावे। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ग्राम पंचायत छिलोडी पंचायत समिति रैणी की कोई भूमि जब वहां है ही नहीं और राज्य सरकार की भूमि हैं और जो राज्य सरकार द्वारा अवाप्त की जा चुकी हैं उसे ग्राम पंचायत छिलोडी की


आतिरक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

भूमि नहीं होने के कारण पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है और जो भूमि का स्वामी ही नहीं है और जो ग्राम पंचायत में निहित भूमि ही नहीं है तो उसे ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। इसी बिना पर ग्राम पंचायत छिलोडी द्वारा पट्टा जारी किये जाने का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है, निरस्त किया जावे। 1958 में अवाप्तशुदा भूमि जो 1960 में पी० डब्लू० डी० विभाग में निहित हो गई और जो रास्ते की भूमि है।

उस भूमि को ग्राम पंचायत छिलोडी ने पट्टा संख्या 7 द्वारा दौलतराम को दिनांक 22.02.1986 को अलोट की, पट्टा संख्या 5 द्वारा दिनांक 14.07.1985 को त्रिलोक चन्द पुत्र श्री छीतरमल को अलोट की, पट्टा संख्या 2/4 द्वारा लिछमन पुत्र भौरेलाल को यादव को दिनांक 29.09.1984 को अलोट की तथा पट्टा नं० 2/3 द्वारा फौजू पुत्र हसमल मेव को दिनांक 29.09.1984 को अलोट की, पट्टा संख्या 2/2 द्वारा हसमल पुत्र छीतरमल मेव को दिनांक 29.09.1984 को अलोट की। पट्टा संख्या 2/2 व 2/3 द्वारा बाप बेटे को एक ही परिवार में अलोट कर दी, पट्टा संख्या 2/1 द्वारा नरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा को दिनांक 29.09.1984 को अलोट पट्टा की, व पट्टा संख्या 2/5 द्वारा अध्यक्ष दी वारा लेवर कान्ट्रेक्टर को—आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड बारा भडकोल को दिनांक 29.12.1984 को पट्टा जारी किया। पट्टा संख्या 6 द्वारा लल्लूराम व मदन लाल पुत्र मोतीलाल शर्मा को दिनांक 29.08.1984 को पट्टा जारी किया गया। जिस पर हस्ताक्षरों के नीचे पट्टा जारी करने की तारीख दर्ज नहीं की है तथा पट्टा संख्या 8 द्वारा दिनांक 22.02.1986 को जगदीश पुत्र गंगासहाय को अलोट किया, व पट्टा संख्या 9 द्वारा दिनांक 24.02.1986 को मोहन लाल पुत्र श्री गंगासहाय को जारी किया। इस प्रकार जाहिर है कि ग्राम पंचायत छिलोडी पंचायत समिति रैणी जिला अलवर द्वारा उपरोक्त सभी पट्टे सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण के पश्चात जारी किये गये हैं। और सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर जारी कर दिये हैं, जो भूमि मालाखेडा से लक्षमणगढ तक के लिए 80 फुट चौड़ाई के रोड हेतु प्रस्तावित हैं। इस अवाप्तशुदा भूमि का कोई हिस्सा पट्टे जारी करने का किसी भी ग्राम पंचायत को अधिकार नहीं है। इस प्रकार जारी समस्त पट्टे जो रास्ते की भूमि के पट्टे हैं उन्हें जारी करने का कोई वैधानिक अधिकार ग्राम पंचायत छिलोडी को नहीं है। इस बिना पर भी ग्राम पंचायत छिलोडी पंचायत समिति रैणी जिला अलवर द्वारा जारीशुदा पट्टे निरस्त किये जाने योग्य हैं, निरस्त किये जायें।

ग्राम पंचायत छिलोडी के सरपंच व सचिव ने आपस में मिलकर यह जानते हुए कि यह भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अवाप्त कर रखी है। आपस में मिलकर करके अपने चाहने वालों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए गैरकानूनी रूप से बिला अधिकार के पट्टे जारी किये हैं। जिसे सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का अप्रार्थी संख्या 3 को पट्टा जारी करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, क्योंकि पट्टा जारी करने का उन्हें कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। जबकि इस आधार पर ग्राम पंचायत छिलोडी पंचायत समिति रैणी जिला अलवर को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का


आंतरिक जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

अन्य अप्रार्थी संख्या 3 को पट्टा जारी करने का कोई भी वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 को जारी किया गया पट्टा गैरकानूनी होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है, निरस्त किये जावे। निगरानी पेशकर निवेदन है कि निगरानीकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर वर्ष 1958 में अवाप्तशुदा भूमि जो 1960 में सार्वजनिक निर्माण विभाग में निहित हो गई और जो रास्ते की भूमि है। उस भूमि को ग्राम पंचायत छिलोडी के सरपंच व सचिव (अप्रार्थी संख्या 1 व 2) ने पट्टा संख्या 8 द्वारा जगदीश पुत्र गंगासहाय को दिनांक 22.02.1986 को पट्टा जारी किया गया जो पट्टा निरस्त फरमाया जावे एवं अन्य अनुतोष जो श्रीमान् मिन निगरानीकार के हक में न्यायोचित व न्यायसंगत समझे फरमाये जावे। निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अनिगरानीकारों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अनिगरानीकारों की विधिवत तलबी होकर शामिल पत्रावली की गई। अनिगरानीकार संख्या 04 जरिये अभिभाषक उपस्थित।


वकील निगरानीकार द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र एवं लिखित बहस पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत छिलोडी पंचायत समिति रैणी जिला अलवर द्वारा गैरकानूनी तरीके से पट्टे जारी करने की शिकायत दिनांक 15/06/2012 को मिलने पर निगरानीकार द्वारा प्रशासनिक कार्यवाही की गई परन्तु प्रशासनिक कार्यवाही से पट्टे निरस्त नहीं किये जा सकते हैं। इसलिय प्रशासनिक कार्यवाही करने में असफल रहने के कारण वकील साहब से कानूनी राय लेने पर निगरानी प्रस्तुत करने की सलाह मिली। इसलिए पट्टे की दिनांक से प्रशासनिक कार्यवाही में व्यतीत हुआ समय व उसके बाद तक का समय कानूनी कार्यवाही की जानकारी ना होने के कारण उसे 'व्यतीत हुआ है उसे/कन्डोन फरमाया जाकर निगरानी साधारणतय अन्दर अवधि स्वीकार करने की कृपा करें। जिसके लिए अलग से धारा 5 मियाद अधि० का प्रार्थना पत्र पेश है। इसलिए मौजूदा निगरानी नियमानुसार बिना देशी के श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अवाप्तशुदा भूमि ग्राम पंचायत छिलोडी पंचायत समिति रैणी तहसील राजगढ़ जिला अलवर न्यायालय के क्षेत्राधिधकार में स्थित होने के कारण तथा इसकी निगरानी की सुनवाइ का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान् को प्राप्त होने के कारण निगरानी श्रवणयोग्य है। निगरानी पर नियमानुसार न्याय शुल्क चस्पा है और अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नियमानुसार तलबाना शुल्क अलहदा से चस्पा है।

ग्राम पंचायत छिलोडी पंचायत समिति रैणी द्वारा द्वारा अवाप्तशुदा सरकारी भूमि जो मालाखेडा से लक्षमणगढ़ तक 80 चौड़ाई के रोड क लिए प्रस्तावित है। जिसका मुआवजा भी सार्वजनिक निर्माण विभागने अवाप्ति की कार्यवाही करने के पश्चात जमा करा दिया था और यह भूमि सरकारी भूमि रास्ते के लिए जो मालाखेडा से लक्षमणगढ़ तक के रोड के लिए ग्राम बारा भडकोल से सड़क को प्रस्तावित 80 फुट चौड़ाई के लिए प्रस्तावितकी गई थी जो खसरा नम्बर 16/1 रकबा 5 बिस्वा व अन्य खसरा नम्बरान कमशः 1,2,3,10,19,20, व इस तरह ने अन्य खसरा नम्बरान भी है जो दिनांक 20/04/1980 से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मालाखेडा तक सड़क की 80 फुट चौड़ाई बढ़ाने हेतु अवाप्त की गई। जिस अवाप्तिशुदा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

भूमि का अवार्ड जारी कर दिया गया था। तथा जिसकी विज्ञप्ति सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विज्ञप्ति संख्या एफ/96/पी० डब्लू डी/106 दिनांक 17/03/1958 को जारी किया था। इस प्रकार पट्टा जारी करने में काफी वर्षों पूर्व भूमि सरकार को सार्वजनिक निर्माण विभागद्वारा अधिग्रहित कर ली गई थी। और जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि है। जिस भूमि का सरपंच व सचिव को पदटे जारी करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं था। वर्ष 1958 में अवाप्तदा भूमि को 1960 में पी० डब्लू० डी० विभाग में निहित हो गई और जो रास्ते की भूमि है उस भूमि को ग्राम पंचायत छिलौडी ने पट्टा संख्या 7 द्वारा दौलत राम को दिनांक 22/02/1986 को अलोट की, पट्टा संख्या 5 द्वारा दिनांक 14/07/1985 को त्रिलोक चन्द पुत्र श्री छीतरमल को अलोट की, पट्टा संख्या 2/4 द्वारा लिछमन पुत्र भौरैलाल यादव को दिनांक 29/09/1984 को अलोट की, तथा पदट्टा नं० 2/3 द्वारा फौजू पुत्र हसमल मेव को दिनांक 29/09/1984 को अलोट की, पट्टा संख्या 2/2 द्वारा हसमल पुत्र छीतरमल मेव को दिनांक 29/09/1984 को अलोट की, पट्टा संख्या 2/2 व 2/3 द्वारा बाप बेटे को एक ही परिवार ने अलोट कर दी, पट्टा संख्या 2/1 द्वारा नरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा को दिनांक 29/09/1984 को अलोट की व पट्टा संख्या 2/5 द्वारा अध्यक्ष दी वार लेबर कान्ट्रेक्टर को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड द्वारा भडकोल को दिनांक 29/12/1984 को अलोट कर पट्टा जारी किया। पट्टा संख्या 6 द्वारा लल्लूराम व मदन लाल पुत्र मोतीलाल शर्मा को दिनांक 29/08/1984 को अलोट कर पट्टा जारी किया गया। जिस पर हस्ताक्षरो के नीचे पट्टा जारी करने की तारीख दर्ज नहीं की है। तथा पट्टा संख्या 8 द्वारा दिनांक 22/02/1986 को जगदीश पुत्र गंगासहाय को पट्टा जारी किया व पदट्टा संख्या 9 द्वारा दिनांक 24/02-1986 को मोहन लाल पुत्र श्री गंगासहाय को जारी किया।


इस प्रकार जाहिर है कि ग्राम पंचायत छिलौडी पंचायत समिति रैणी जिला अलवर द्वारा उपरोक्त सभी पट्टे सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण के पश्चात जारी किये गये और सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर जारी किये कर दिये है जो भूमि मालाखेडा से लक्ष्मणगढ़ तक के लिए 80 फुट चौड़ाई के रोड हेतु प्रस्तावित है। इस अवाप्तशुदा भूमि का कोई हिस्सा पट्टे जारी करने का कि किसी भी ग्राम पंचायत को अधिकार नहीं है। इस प्रकार जारी पट्टा रास्ते की भूमि के पट्टे है। उन्हें जारी करने का कोई वैधानिक अधिकार ग्राम पंचायत छिलौडी पंचायत समिति रैणी, जिला अलवर द्वारा जारीशुदा पट्टे निरस्त किये जाने योग्य है, निरस्त किये जावें। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में सन 1960 में सडक के लिए भूमि अवाप्त की गई। मिन अप्रार्थी द्वारा भूमि अवाप्ति की विज्ञप्ती संख्या 1. 1(96) पी०डब्ल्यू०डी० 57 दिनांक 07.03.1958 के द्वारा जारी की गई जिसका प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 22.05.1958 को किया गया अवार्ड दिनांक 29.04.1960 को जारी किया गया तथा मुआवजा राशि रूपये 1644/- 78 पैसे चैक संख्या 216282 दिनांक 13.03.1962 को अधिशाषी अभियंता बी एण्ड आर अलवर के पत्र संख्या 137 दिनांक 24.03.1962 द्वारा जिला कलक्टर अलवर को नियमानुसार भिजवा दिया गया था जिसे जिला कलक्टर अलवर द्वारा पत्रांक आर०डी० 28(25) 61/1403 दिनांक 02.04.1962 के द्वारा तहसीलदार अलवर को भिजवाया


आतिरेक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

गया था। सडक चौडाई कार्य के दौरान जानकारी हुई की पंचायत छिलोडी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि पर अवैध तरीके से पट्टे जारी किए गए हैं। ग्राम पंचायत छिलोडी द्वारा सडक चौडाई 80 फीट में आने वाले खसरा न0 1 की 02 बिसवा, 2 की 1 बीघा 18 बिसवा, 3 की 15 बिसवा, 6 की 1 बीघा 16 बिसवा, 16/1 की 05 बिसवा, खसरा न0 18 की 8 बिसवा, 19 की 02 बिसवा, 20 की 8 बिसवा एवं 87 की 05 बिसवा कुल 05 बीघा 19 बिसवा भूमि अवाप्त की गई जिसको खसरा मैप साइड प्लान में अवाप्तशुदा भूमि की दोनो तरफ सीमा रेखाएं मार्क की गई, जिसके बाबजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अवाप्तशुदा भूमि पर अवैध तरीके से पट्टे जारी किए गए हैं। तथाकथित पट्टा मालाखेडा-लक्ष्मणगढ स्टेट हाईवे व बारा-भडकोल पाटन माचाडी एम डी आर सडक जंक्शन का भाग है अवैध पट्टा जारी होने के कारण उक्त महत्वपूर्ण स्टेट हाईवे सडक पर अभी तक भारी वाहनों का आगमन रुका हुआ है तथा दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है तथा सडक चौडाई कार्य भी रुका हुआ है।

ग्राम पंचायत छिलौडी के सरपंच सचिव ने आपस में मेल मिलाप करते यह जानते हुए कि यह भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अवाप्त कर रखी है। आपस में मिल्लत करके अपने चाहने वालों को अनुचित लाभ पहुँचाने के लिए गैरकानूनी रूप से बिना अधिकार के जारी किये है। जिसे सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का अप्रार्थी संख्या 3 को पट्टा जारी करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं था, क्योंकि पट्टा जारी करने का उन्हे कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। जबकि इस आधार पर ग्राम पंचायत छिलौडी पंचायत समिति रैणी जिला अलवर को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी अवाप्त शुदा भूमि का अन्य अप्रार्थी संख्या 3 को पट्टे जारी करने का कोई भी वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अपार्थी संख्या 3 को जारी किया गया पट्टा गैरकानूनी होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। निरस्त किया जावे। अतः निगरानी पेशकर निवेदन है कि निगरानीकार प्रार्थी की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर वर्ष 1958 में अवाप्तशुदा भूमि जो 1960 मे सार्वजनिक निर्माण विभाग में निहित हो गई और जो रास्ते की भूमि है। उस भूमि को ग्राम पंचायत छिलौडी के सरपंच व सचिव अपार्थी संख्या 1 व 2 ने पट्टा संख्या 8 द्वारा जगदीश पुत्र गंगासहाय को दिनांक 22.02.1986 को पट्टा जारी किया गया जो पट्टा निरस्त फरमाये जाने योग्य है हैं एवं अन्य अनुतोष जो श्रीमान् मिन निगरानीकार के हक में न्यायोचित व न्यायसंगत समझे फरमाया जावें।

वकील अनिगरानीकार संख्या 04 की ओर से लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत छिलोडी द्वारा विधि विरुद्ध आदेश दिनांक 29.12.1984 पारित कर पट्टा जारी किया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में सन 1960 में सडक के लिए भूमि अवाप्त की गई। मिन अप्रार्थी द्वारा भूमि अवाप्ति की विज्ञप्ती संख्या 1.1(96) पी0डब्ल्यू0डी0 57 दिनांक 07.03.1958 के द्वारा जारी की गई जिसका प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 22.05.1958 को किया गया अवार्ड दिनांक 29.04.1960 को जारी किया गया तथा मुआवजा राशि रूपये 1644/- 78 पैसे चैक संख्या 216282 दिनांक 13.03.1962 को अधिशाषी


अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

अभियंता वी एण्ड आर अलवर के पत्र संख्या 137 दिनांक 24.03.1962 द्वारा जिला कलक्टर अलवर को नियमानुसार भिजवा दिया गया था जिसे जिला कलक्टर अलवर द्वारा पत्रांक आर0डी0 28(25) 61/1403 दिनांक 02.04.1962 के द्वारा तहसीलदार अलवर को भिजवाया गया था। सडक चौड़ाई कार्य के दौरान जानकारी हुई की पंचायत छिलोडी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि पर अवैध तरीके से पट्टे जारी किए गए हैं। ग्राम पंचायत छिलोडी द्वारा सडक चौड़ाई 80 फीट में आने वाले खसरा न0 1 की 02 विसवा, 2 की 1 बीघा 18 विसवा, 3 की 15 विसवा, 6 की 1 बीघा 16 विसवा, 16/1 की 05 विसवा, खसरा न0 18 की 8 विसवा, 19 की 02 विसवा, 20 की 8 विसवा एवं 87 की 05 विसवा कुल 05 बीघा 19 विसवा भूमि अवाप्त की गई जिसको खसरा मैप साइड प्लान में अवाप्तशुदा भूमि की दोनों तरफ सीमा रेखाएं मार्क की गई, जिसके बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अवाप्तशुदा भूमि पर अवैध तरीके से पट्टे जारी किए गए हैं। तथाकथित पट्टा मालाखेडा-लक्ष्मणगढ स्टेट हाईवे व वारा-भडकोल पाटन गाचाडी एम डी आर सडक जंक्शन का भाग है अवैध पट्टा जारी होने के कारण उक्त महत्वपूर्ण स्टेट हाईवे सडक पर अभी तक भारी वाहनों का आगमन रूका हुआ है तथा दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है तथा सडक चौड़ाई कार्य भी रूका हुआ है।

अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर वर्ष 1958 में अवाप्तशुदा भूमि जो 1960 में सार्वजनिक निर्माण विभाग में निहित हो गई और जो रास्ते की भूमि है। उस भूमि को ग्राम पंचायत छिलोडी के सरपंच व सचिव अनिगरानीकार संख्या 1 व 2 ने पट्टा संख्या 8 द्वारा जगदीश पुत्र गंगासहाय को दिनांक 22.02.1986 पट्टा जारी किया गया जो पट्टा निरस्त फरमाये जावें।

पत्रावली पर लिखित बहस प्रस्तुत है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड एवं लिखित बहस के तथ्यों का मिलान किया गया। पट्टा जारी करने से संबंधित रिकॉर्ड का अध्ययन किया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में सन 1960 में सडक के लिए भूमि अवाप्त की जाकर भूमि अवाप्ति की विज्ञप्ती संख्या 1.1(96) पी0डब्ल्यू0डी0 57 दिनांक 07.03.1958 के द्वारा जारी की गई जिसका प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 22.05.1958 को किया गया अवार्ड दिनांक 29.04.1960 को जारी किया गया है। विज्ञप्ति दिनांक 07.03.1958, राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 22.05.1958 में विवादित भूमि खसरा न0 01,02,03,06,16/1,18,19,20 तथा 87 की कुल 05 बीघा 19 विसबा भूमि पी0डब्ल्यू0डी द्वारा अवाप्त की गई है। अवाप्तशुदा भूमि के खसरा मैप, साइड प्लान में दोनों तरफ की सीमा रेखाएं मार्क की गई लेकिन सीमा रेखा मार्किंग के बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा अवाप्तशुदा सडक के पट्टे जारी कर दिए गए। अवाप्तशुदा भूमि खसरा न0 16/01 की 05 विसबा भूमि पर अनिगरानीकार संख्या 03 के नाम पट्टा संख्या 02/05 दिनांक 29.12.1984 पैमाईश 35 बाई 14 फुट का जारी कर दिया गया। पत्रावली में उपलब्ध जांच रिपोर्ट विकास अधिकारी पंचायत समिति रैणी की पत्रांक 144 दिनांक 21.06.2012 का अवलोकन किया गया। जिसमें विकास अधिकारी द्वारा सा0नि0वि की अवाप्तशुदा भूमि के संबंध

dy
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

में जांच में पाया कि जारी पट्टे नियम विरुद्ध हैं। किसी अन्य विभाग की अवाप्तशुदा भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त विवादित आदेश पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियमों के विपरीत है। इस प्रकार निगरानी में यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे उसी आराजी नं० और भूमि के जारी किए गए हैं जिस भूमि को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विधिवत नोटिफिकेशन कर अवाप्ति की कार्यवाही की गई। अवाप्त भूमि का बकायदा मुआवजा भी निर्धारण किया गया था। ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर पट्टे जारी करने की कार्यवाही की गई है जो नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवैधानिक है। निगरानीकार द्वारा निगरानी में पेश तथ्य उचित एवं विधिक है। निगरानी स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत छिलोडी के पट्टा संख्या 8 निर्णय दिनांक 22.02.1986 बहक गैरनिगरानीकार संख्या 03 निरस्त किया जाता है एवं विकास अधिकारी पं० स० रैणी को निर्देश दिए जाते हैं कि अवैधानिक कार्यवाही करने वाले संबंधित के विरुद्ध पंचायत राज एक्ट के तहत कार्यवाही करने की सुनिश्चितता करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(पी० आर० मीना)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय)
अलवर(राज०)